फतेहगढ़ पुलिस

दैनिक जागरण

दहेज के लिए महिला की हत्या में पति और सास-ससुर दोषी करार

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ : दहेज में बाइक और एक लाख रुपये न मिलने पर महिला की पीटकर हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सजा पर फैसले के लिए छह मई की तिथि नियत की गई है।

जनपद हरदोई थाना अरवल के गांव उगढ़नपुर निवासी छोटेलाल ने दो मार्च 2023 को राजेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि उन्होंने पुत्री अनुजा की शादी दो साल पहले गांव नौसारा निवासी मनोज के साथ की थी। शादी के बाद पुत्री का पति मनोज, सास रामगुनी व ससुर लालाराम दहेज में बाइक व एक लाख रुपये नकदी की मांग कर उत्पीड़न करने लगे। इस पर वह पुत्री को घर बुला लाए। कुछ दिन बाद मनोज ने रिश्तेदारों के माध्यम से बातचीत कर विदा कराई। 24 फरवरी 2023 को उन्हें सूचना मिली कि पुत्री का शव घर के बाहर पड़ा है। वह स्वजन के साथ मौके पर पहुंचे तो पुत्री के शरीर पर चोटों के निशान थे। ससुरालीजन मौके से भाग गए थे। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी अनिल कुमार बाजपेयी, दीपिका कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने सोमवार को तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

राकेश राजपूत व ललित • पुलिस

4 चार मार्च 2026 की रात को गई थी भवप्रीती की मौत

दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति और ससुर गिरफ्तार

जासं, फतेहगढ़ : दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने वांछित चल रहे मृतका के पति व ससुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों का चालान कर दिया गया। मुहल्ला नारायनपुर नवादिया निवासी भवप्रीती की चार मार्च की रात को मौत हो गई थी। इस मामले में पांच मार्च को जनपद हरदोई के थाना पचदेवरा क्षेत्र के गांव भुआपुर निवासी भवप्रीती के भाई शिवेंद्र सिंह ने बहन के पति ललित नारायण राजपूत, सास कौशल्या, ससुर राकेश राजपूत, देवर डा. देवश्य राजपूत, ननद तृप्ति राजपूत, ननद सौम्या राजपूत के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि कार की मांग कर पूरी न होने पर बहन की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया था। नगर क्षेत्राधिकारी अभय वर्मा ने सोमवार को आरोपित पति ललित नारायण राजपूत व ससुर राकेश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों का चालान कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान

विवाहिता की हत्या में तीन पर आरोप तय

फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम संजय कुमार ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति समेत तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं। तीनो लोगों को दोष सिद्ध करते हुए जेल भेज दिया गया है।

घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है। जनपद हरदोई के अरबल थाना अंतर्गत उगरनपुर निवासी छोटेलाल ने 2 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि बेटी अनुजा का विवाह राजेपुर थाने के नौसारा में मनोज संग की थी। न्यायाधीश ने पति मनोज, ससुर लालाराम, सास रामगुमनी को दोषी करार दिया है।

मीडिया सेल फतेहगढ़